न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी से समक्ष , -

संजय,-याचिकाकर्ता

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और अन्य,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2707 of 1908

24अगस्त, 1998

भारतीय संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226/227 — स्वीकारोक्ति - पाँच चिकित्सा संस्थानों के लिए आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा - प्रोस्पेक्टस में यह प्रावधान किया गया है कि योग्यता में उच्च वरीयता उम्मीदवारों को M.B.B.S की सीट दी जाएगी और अन्य को बी डी एस की -- योग्यता में उच्च वरीयता उम्मीदवार 50 प्रतिशत मुफ्त सीटों में प्रवेश ले सकेंगे - याचिकाकर्ता को बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में भुगतान सीट पर एक कॉलेज में प्रवेश मिला-प्रतिवादी द्वारा जारी विज्ञापन - M.B.B.S में खाली सीट भरने के लिए अपने स्तर पर कॉलेज द्वारा --साक्षात्कार में भाग लेने में असमर्थ - सभी 5 कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए नोटिस जारी किया गया - याचिकाकर्ता को इस आधार पर प्रवेश से इनकार कर दिया कि वह महाराजा अगरसेन आयुर्विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा संस्थान में परामर्श सत्र में भाग लेने में विफल रहा - जिसे चुनौती दी गई – अभिनिर्धारित, प्रवेश प्रवेश समिति द्वारा किए जावे - किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गये प्रवेश की कोई क़ानूनी मान्यता नहीं है - ऐसे प्राधिकारी द्वारा परामर्श में भाग लेने की सूचना को बिना किसी संदेह के नज़रअंदाज़ किया जा सकता है - याचिकाकर्ता को प्रवेश देने और प्रतिवादी को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीट बनाने का निर्देश जारी किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पी. जी. आई. के निदेशक और कुछ अन्य सदस्यों वाली एक प्रवेश समिति द्वारा किए जाने चाहिए।इसलिए, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रवेश की कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी और ऐसे प्राधिकरण द्वारा परामर्श में भाग लेने की सूचना को बिना किसी संदेह के नजरअंदाज किया जा सकता है।

(पैरा 3)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ प्रतिवादी क्र 3 कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिए।इस याचिका का तदनुसार इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि याचिकाकर्ता को भुगतान सीट के तहत प्रतिवादी क्र 3 कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में तुरंत प्रवेश दिया जाएगा और प्रतिवादी क्र 5 को समायोजित करने के लिए संबंधित प्रतिवादीगण एक अतिरिक्त सीट के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाएंगे।

(पैरा 6)

आर. के. गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील

आर. एस. चाहर अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा

श्री सी. पी. सप्रा, अधिवक्ता और

जे. के. पुरी, प्रतिवादी संख्या 5 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी, *(*मौखिक*)*

(1) उत्तरदाता क्र 2, पं. बी. डी शर्मा, पोस्टग्रेड्युअट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक (जिसे इसके बाद 'पीजीआई ' कहा जाएगा) ने वर्ष 1997 में हरियाणा राज्य के पांच चिकित्सा संस्थानों के लिए एम.बी.बी .एस /बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की। पात्रता अनुसार याचिकाकर्ता ने दोनों पाठ्यक्रमों में परीक्षा देने के लिए आवेदन किया और परिणाम की घोषणा के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मेरिट क्र 307 पर रहा । प्रत्यर्थी क्र 1, विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना विवरणिका के अध्याय 5 के अनुसार, प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर एक प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश दिया जाना था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में पीजीआई के निदेशक और सदस्यों के रूप में परीक्षा द्वारा कवर किए गए पांच मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य शामिल थे।विवरणिका में आगे यह प्रावधान किया गया कि योग्यता में उच्च उम्मीदवारों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए और योग्यता में निम्न उम्मीदवारों को बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में सीट की पेशकश की जाएगी। संस्थान का आवंटन भी प्रवेश समिति पर छोड़ दिया गया था, निर्णय योग्यता और साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा की गई वरीयता के आधार पर किया जाना था।यह भी निर्धारित किया गया था कि योग्यता में उच्च उम्मीदवारों को शुल्क की बहुत कम दर वाली 50 प्रतिशत मुफ्त सीटों के खिलाफ समायोजित/प्रवेश की पेशकश की जाएगी, जबकि योग्यता में कम उम्मीदवारों को अधिक महंगी भुगतान सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए पहली

काउंसलिंग 18.8.1997 पर आयोजित की गई थी और चूंकि याचिकाकर्ता योग्यता के दायरे में नहीं आता था, इसलिए उसे इसमें भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था।हालाँकि, उन्हें 29.9.1997 पर दूसरी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था फिर भी उन्हें योग्यता में कमी के कारण प्रवेश नहीं मिला। दिनांक 09.10.1997 को बी. आर. एस. आयुर्विज्ञान संस्थान (दंत महाविद्यालय और अस्पताल), ग्राम कोट बिल्ला, पंचकूला प्रत्यर्थी क्र 4 ने अपने स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया जिसमें उम्मीदवारों को उपलब्ध बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में रिक्तियों के लिए 20.10.1997 पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।याचिकाकर्ता ने उस दिन साक्षात्कार में भाग लिया और भुगतान सीट के खिलाफ उसमें प्रवेश प्राप्त किया। दिनांक 3.11.1997 को प्रत्यर्थी संख्या 3 महाराजा अगरसेन आयुर्विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा संस्थान, अग्रोहा, जिला हिसार ने भी M.B.B.S पाठ्यक्रम में खाली सीटों को भरने के लिए अपने स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता विभिन्न कारणों से इस साक्षात्कार में भाग नहीं ले सके। इस बीच पीजीआई ने ब्रोशर द्वारा कवर किए गए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के लिए 5.12.97 के लिए निर्धारित काउंसलिंग के लिए एक और नोटिस जारी किया। हालांकि याचिकाकर्ता काउंसलिंग के समय उपस्थित हुआ था, लेकिन उसे इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था कि वह दिनांक 3.11.1997 को महाराजा अगरसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन में काउंसलिंग में भाग लेने में विफल रहा था। याचिकाकर्ता का पक्ष है कि 5.12.1997 पर आयोजित तीसरी काउंसलिंग के बावजूद महराजा अगरसेन आयुर्विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा संस्थान, अग्रोहा ने एम.बी.बी .एस में दो और भुगतान सीटों पर 29 जनवरी, 1998 को प्रवेश दिया था जिस्म एक सीट प्रत्यर्थी संख्या 5 को दी गई थी जो योग्यता सूची में क्र .615 पर था।तदनुसार याचिकाकर्ता इस अदालत में प्रत्यर्थी संख्या 5 को दी गई सीट को चुनौती देने के लिए आया है।

(2) वाचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. गुप्ता ने मेरे सामने दो बुनियादी तर्क रखे हैं।उन्होंने आग्रह किया है कि ब्रोशर के पृष्ठ १७ पर दिये निर्देशों के उप-खंड (3) और (4) के बीच एक स्पष्ट अंतर है। प्रथम, एक उम्मीदवार जो अधिसूचित तिथि पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में विफल रहा, वह प्रतीक्षा सूची में प्रवेश और नियुक्ति के लिए अपने दावे को खो देने के लिए उत्तरदायी था, जबकि उत्तरार्द्ध में कोई ज़ब्ती खंड नहीं था और यह प्रावधान किया गया था कि चयनित उम्मीदवारों के प्रवेश के रिपोर्ट करने में विफलता पर, रिक्तियों को योग्यता के क्रम में प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा, और उस स्थिति में याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता था, भले ही वह काउंसलिंग में शामिल न हुआ हो। तर्क किया कि सूचना विवरणिका के अनुसार पीजीआई के निदेशक की अध्यक्षता में एक प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश किया जाना था और चूंकि मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा द्वारा 3 नवंबर, 1997 को याचिकाकर्ता को दिया गया प्रस्ताव अपने स्तर पर था, इसलिए वह इसे नजरअंदाज करने में पूरी तरह से उचित था और इस दृष्टि से प्रतिवादी का यह रुख कि याचिकाकर्ता ने 3 नवंबर, 1997 के बाद किसी भी

काउंसलिंग में प्रवेश लेने के अपने दावे को खो दिया था, उचित नहीं था। श्री गुप्ता द्वारा उठाई गई दलीलों पर 1998 की सिविल रिट याचिका संख्या 2134 (पारुल लोहरा बनाम एम. डी. विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य*)* में विचार किया गया है और *21*अगस्त, 1998 को निर्णय लिया, जिसमें निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः—

"मैंने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।मामला एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में चयन और प्रवेश की विधि से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना ब्रोशर (1997) के अध्याय-5 के विश्लेषण पर निर्भर करेगा। उपरोक्त अध्याय के पैरा 1 में प्रावधान है कि उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों की एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। पैराग्राफ II प्रवेश की विधि से संबंधित है और यह अभिनिर्धारित करता है कि वरीयता सूची में उच्च उम्मीदवारों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए और अन्य को बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए सीटों की उपलब्धता के अधीन योग्यता के क्रम में सीटें दी जाएंगी, जब तक कि कोई उम्मीदवार केवल साक्षात्कार के समय किसी एक पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से विकल्प नहीं चुनता है। पैराग्राफ II के उप-पैरा (2), (3) और (4) जो प्रासंगिक हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः—

(2) मुफ्त सीटों और भुगतान सीटों के खिलाफ प्रवेश के मामले में, वरीयता सूची में उच्च उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में 50 प्रतिशत मुफ्त सीटों के खिलाफ विचार/प्रवेश की पेशकश की जाएगी और कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को भुगतान सीटों के खिलाफ विचार/प्रवेश की पेशकश की जाएगी।

(3) जो उम्मीदवार अधिसूचित तिथि पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में विफल रहते हैं, वे प्रतीक्षा सूची में प्रवेश और नियुक्ति के दावे को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(4) चयनित उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए रिपोर्ट करने में विफलता पर, रिक्तियां योग्यता के क्रम में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

उपरोक्त उप-पैराओं के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-पैरा (2) में कहा गया है कि बेहतर उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में मुफ्त सीटों की पेशकश की जाएगी, जबकि योग्यता में कम उम्मीदवारों को भुगतान सीटों के खिलाफ माना/पेश किया जाएगा।यह स्पष्ट है कि एक मुफ्त या भुगतान सीट के खिलाफ प्रवेश निर्धारित करने के लिए अनिवार्य शर्त प्रवेश परीक्षा में योग्यता है।उप-पैरा (3) और (4) प्रवेश के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और उप-पैरा (2) के प्रभाव को बदलने या कम करने के लिए किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है।श्री बल्हारा का यह तर्क कि प्रतिवादी संख्या 6 से 8 ने 29 सितंबर, 1997 को महाराजा अगरसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एग्रोहा और

बी. आर. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोटबिल्ला, पंचकूला में प्रवेश के लिए दूसरी काउंसलिंग के समय दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था जिससे 5 दिसंबर, 1997 को तीसरी काउंसलिंग पर प्रवेश के लिए उनके दावे को अमान्य समझा जाएगा, उपरोक्त स्थिति में इसकी जांच की जानी चाहिए।इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि उप-पैरा (3) अधिसूचित तिथि पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में उम्मीदवार की विफलता पर प्रवेश के दावे को ज़ब्त करने के बारे में बात करता है, लेकिन उप-पैरा (4) में ऐसा कोई ज़ब्ती खंड नहीं है। प्रतिवादीगण की राय में यह भी योग्यता प्रतीत होती है कि पूर्व-संदर्भित "प्रवेश" और "प्रतीक्षा सूची" शब्द पहली काउंसलिंग के समय किए गए प्रवेश से संबंधित होंगे, न कि उसके बाद।इस संदर्भ में और विशेष रूप से, इस तथ्य के आलोक में कि मूल उप-पैराग्राफ (2) में यह प्रावधान है कि योग्यता में उच्च उम्मीदवारों को योग्यता में निम्न उम्मीदवार की वरीयता में एक स्वतंत्र सीट की पेशकश की जाएगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं का याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 को प्रवेश देने में वरीयता दिये जाने की कार्रवाई उचित नहीं थी।मेरे विचार से, यह न्यायसंगत और उचित ही होगा कि प्रवेश समिति को बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे पहली के बाद हुई काउन्सलिंग का ध्यान रखा जाये और योग्यता के आधार पर अंतिम प्रवेश लिया जाए।ऐसा इस मामले में किया जाना प्रतीत होता है।"

(3) श्री गुप्ता द्वारा किए गए दूसरे तर्क में भी समान वरीयता है।पारुल लोहरा के मामले (उपरोक्त) में यह भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश एक प्रवेश समिति द्वारा किया जाना है जिस्म पी. जी. जे. के निदेशक और कुछ अन्य सदस्यों होंगे । इसलिए, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रवेश की कोई कानूनी वरीयता नहीं होगी और ऐसे प्राधिकरण द्वारा काउंसलिंग में भाग लेने की सूचना को बिना किसी संदेह के नजरअंदाज किया जा सकता है।

(4) हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने *अनिल जैन एम. एस. जनरल सर्जरी और अन्य बनाम परीक्षा नियंत्रक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और अन्य*[1] मामले में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले को आधार बनाके यह तर्क दिया है कि एक उम्मीदवार जो काउंसलिंग के समय अपनी पसंद का विषय नहीं प्राप्त कर सका, वह उसे अस्वीकार कर सकता है और प्रतीक्षा सूची में अपना नाम जीवित रख सकता है ताकि वह बेहतर विषय में अपने अवसर की प्रतीक्षा कर सके, लेकिन यदि उसने काउंसलिंग के समय प्रवेश लिया तो ऐसा उम्मीदवार बाद में उस सीट के संबंध में दावा नहीं कर सकता जो बेहतर विषय में उपलब्ध हो सकती है।पूर्ण पीठ की टिप्पणियों को अलग से पढ़ने से निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के मामले का समर्थन होता है, लेकिन अदालत वर्ष 1996 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए रोहतक के एम.डी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विवरण पत्रिका में निहित प्रवेश नियमों पर विचार कर रही थी। न्यायालय के समक्ष नियम इस प्रकार थाः—

[1] **1997 (2)** पी. एल. आर. **832**

"उम्मीदवारों को उनकी संबंधित योग्यता के अनुसार साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष बुलाया जाएगा , जैसा कि अधिसूचित किया गया है और उन्हें पाठ्यक्रम (डिग्री या डिप्लोमा) और अपनी पसंद के विषय के बारे में चयन करना होगा।पाठ्यक्रम और विषय के लिए चयन साक्षात्कार में उनकी संबंधित 'बारी' पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार होगा।जिन उम्मीदवारों को अपने पसंद का विषय नहीं मिलता है, वे साक्षात्कार के समय अपनी पसंद के एक विषय के लिए प्रतीक्षा सूची (लिखित में) का विकल्प चुन सकते हैं।यदि कोई व्यक्ति किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहता है और केवल किसी विशेष विषय के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा जाना चाहता है, तो वह साक्षात्कार के समय लिखित रूप में ऐसा कर सकता है।योग्यता के क्रम में विषयवार प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित की जाएगी।यदि सत्र की शुरुआत से एक महीने के भीतर किसी भी विषय में कोई सीट खाली हो जाती है, तो उन लोगों को योग्यता के क्रम में दी जाएगी जिन्हें उन विषयों के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।बाद में विषय में किसी भी बदलाव के लिए किसी अन्य उम्मीदवार (वरीयता में इससे भी अधिक) के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(5) विद्वान वकील ने वर्ष 1997 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना विवरणिका में प्रतिवादीगण के लिए कोई प्रावधान नहीं बताया गया है।इसलिए, पूर्ण पीठ के फैसले का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं हो सकता है जैसा कि विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है।

(6) यह स्वीकृत है की एम. बी. बी. एस. और बी. डी. एस. के लिए अध्ययन का पहले वर्ष का पाठ्यक्रम समान है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अब पाठ्यक्रम के लगभग 8 महीने पूरे कर लिए हैं।इसलिए, इस विलंबित चरण में यह अनुचित होगा कि उनके चयन को रद्द करके उन्हें हटा दिया जाए और उन्हें एक साल का नुकसान हो। इसलिए, मेरी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी संख्या 3 कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिए।इस याचिका का तदनुसार इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि याचिकाकर्ता को भुगतान सीट के खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 3 कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में तुरंत प्रवेश दिया जाएगा और संबंधित प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 3 को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त सीट के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई शुल्क की आनुपातिक राशि वापस करेगा और प्रतिवादी संख्या 3 कॉलेज अध्ययन के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की शेष राशि के लिए केवल शुल्क लेने का हकदार होगा।यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 कॉलेज में याचिकाकर्ता द्वारा भाग ली गई कक्षाओं को प्रतिवादी संख्या 3 कॉलेज में भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए गिना जाएगा। शुल्क के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। दस्ती आदेश।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा